

भारत में व्यापार चिन्ह संरक्षण का के संदर्भ का परिवर्तन 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की समीक्षा

सार

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण को अपनाने से किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकांश क्षेत्रों में उत्पादन एवं सेवाओं में प्रवेश करना संभव हो गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार चिन्हों का अनियंत्रित दुरुपयोग एवं विनियोजन हुआ है। एकाधिकार बाजारों वाली पृथक् अर्थव्यवस्था में, कानूनी संरक्षण प्राप्त व्यापार चिन्हों की सीमित भूमिका थी। किंतु परिवर्तित संदर्भ में व्यापार चिन्ह कानून शिक्षाविदों एवं व्यवसायियों के लिए अधिक रुचिपूर्ण होगा। इस संदर्भ में यह लेख भारत में व्यापार चिन्ह कानून के बनने के कारणों की खोज कर रहा है। भारत ने नया व्यापार चिन्ह कानून, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 बनाया है जो कि सितंबर 2003 से लागू हुआ है। इस कानून ने 1958 के व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। 1958 के अधिनियम ने विशिष्ट वर्ग में आने वाली विशेष वस्तुओं के संबंध में व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का प्रावधान किया था। इस तरह व्यापार चिन्ह का पंजीकृत स्वामी अपने चिन्ह के अप्राधिकृत प्रयोग को रोक सकता था। नए अधिनियम ने व्यापार एवं व्यवसायिक पद्धतियों में आए परिवर्तनों को नोट किया है। उदाहरण के लिए नए अधिनियम ने पंजीकरण के लिए सेवा चिन्हों व समूह चिन्हों का समावेश किया है, चिन्ह की परिभाषा को विस्तृत किया है व व्यापार चिन्हों के उल्लंघन की परिधि का विस्तार किया है। एक ओर जहाँ पूर्व अधिनियम ने विदेशी चिन्हों के संरक्षण को हतोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर नए अधिनियम ने प्रसिद्ध व्यापारिक चिन्हों को विशेष संरक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार चिन्हों को बहुत कम अवरोधों के साथ नियत व पंजीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही नए अधिनियम ने व्यापार चिन्हों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दीवानी एवं आपराधिक दायित्वों को सशक्त बनाया है।

☛ नोट : इस वर्किंग पेपर में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हिन्दी अनुवाद दिया गया है।

भारत में व्यापार चिन्ह संरक्षण का के संदर्भ का परिवर्तन 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम की समीक्षा

अखिलेश्वर पाठक

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण को अपनाने से किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकाँश क्षेत्रों में उत्पादन एवं सेवाओं में प्रवेश करना संभव हो गया है। परिवर्तित संदर्भ में व्यापार चिन्हों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून महत्वपूर्ण हो गए हैं। उदारीकरण के पूर्व के काल में राज्य पूँजी का सबसे बड़ा परिनियोजक था। अनेक क्षेत्रों में राज्य ने स्वयं का एकाधिकार कायम कर लिया था। अन्य क्षेत्रों में उत्पादन में पूँजी का प्रवेश, आवश्यक परमिटों एवं लाईसेंसें को प्राप्त करने के लिए राज्य की नौकरशाही, राजनीतिक गठतोड़ तक पहुँच पर निर्भर था। किंतु पहुँच वाले व्यक्तियों के लिए बाजार आपेक्षिक रूप से सुरक्षित था। यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों को अनुमति देकर प्रतिस्पर्धा को सीमित करने से हुआ था। चूँकि केवल सीमित संख्या में फर्मों उत्पादन में प्रवेश कर पाती थी अतः व्यापार चिन्हों के उल्लंघन का मसला महत्वपूर्ण नहीं था।

लाईसेंस प्राप्त करने की आवश्यकताओं की समाप्ति ने संपूर्ण परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है। अधिकाँश क्षेत्रों में अब फर्मों उत्पादन में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनैतिक व्यक्तियों ने नकली वस्तुओं का उत्पादन करके व जालसाजी से बनाए गए प्रस्तावों के द्वारा स्थापित फर्मों की ट्रेडमार्क छवि व प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया है। व्यापार चिन्ह उल्लंघन के भय ने पिछले दशक में खतरनाक रूप धारण कर लिया है। व्यापार चिन्ह उल्लंघन के प्रकरण बड़ी संख्या में अदालतों में लंबित हैं। खतरनाक अदालतों में लंबित हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी अवरुद्ध हो रही है। पंजीकरण के लिए जमा होने वाले आवेदनों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। 1967-68 में जमा किए गए आवेदनों की संख्या 6867 थी, जो कि 1999-2000 में दस गुना बढ़ गई है। वस्तुतः पिछले 7 वर्षों में आवेदनों की संख्या दो गुना हो गई है। 1996-97 के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या 43,234 थी, जो कि 2002-2003 के दौरान बढ़कर 94,120 हो गई।

संसद ने 1958 के व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम को प्रति स्थापित कर 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम को लागू किया। नए अधिनियम को सितंबर 2003 से प्रभावी बनाया गया है। नया अधिनियम अर्थव्यवस्था एवं व्यवसायिक पद्धतियों में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखता है एवं व्यापार चिन्हों को बेहतर संरक्षण प्रदान करता है। किंतु दिसंबर 1999 में इसके जल्दबाजी में किए गए अधिनियम के पीछे दबाव का कारण भारत द्वारा ट्रेड एवं टैरिफ (गैट) पर समान करार

के अंतर्गत हुए बौद्धिक संपत्ति करार पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल प्रतिबद्धताएँ थीं । भारत को 1999 के अंत तक अपने दायित्व को निभाने के लिए बाध्य किया गया था । यदि 1958 का अधिनियम विदेशी व्यापार चिन्हों के प्रभाव को कम करने व घरेलू फर्मों के चिन्हों को संरक्षण देने के संदर्भ में राष्ट्रवादी था तो नए अधिनियम ने स्पष्ट रूप से पुराने अधिनियम की नीति का त्याग कर विदेशी व्यापार चिन्हों को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया है ।

यह लेख व्यापार चिन्ह कानून में हुए परिवर्तनों की समीक्षा करता है । इसका लक्ष्य तीन उद्देश्यों की पूर्ति है । पहला, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि जिस प्रकार भारत का प्रवेश उदारीकृत भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है, उसे देखते हुए व्यापार चिन्ह से संबद्ध कानून अत्यधिक संगत हो जाएगा । विपणन अनुसंधान, उपभोक्ता व्यवहार, बिक्री एवं वितरण व कार्पोरेट योजना के क्षेत्र में शिक्षाविदों एवं व्यवसायियों का व्यापार चिन्ह कानून के साथ अंतराफलन बढ़ जाएगा ।

इस लेख का उद्देश्य व्यवसायियों एवं शिक्षाविदों को भारत में व्यापार चिन्ह कानून के संगठन से परिचित कराना है । दूसरा, व्यापार चिन्ह के विषय पर अदालत के निर्णयों की बृहत् सामग्री मौजूद है । किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक पद्धतियों के संदर्भ में व्यापार चिन्ह कानून से संबंधित कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है । जहाँ अदालत के निर्णय ज्ञानवर्धक एवं सूचना व जानकारियों का भंडार हैं वही इन निर्णयों को प्रतिद्वंदी पक्षकारों के मध्य विशिष्ट एवं विशेष विवाद के निपटारे के सुनिश्चित उद्देश्य से लिखा एवं व्यवस्थित किया जाता है । हमें उपर्युक्त विषय पर अन्य प्रकार के साहित्य के विकास की आवश्यकता है । इस लेख का उद्देश्य व्यापार चिन्ह कानून के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को अनुक्रम में व्यवस्थित कर एक शुरुआत करना है । तीसरे उद्देश्य के अंतर्गत उदारीकरण व भूमंडलीकरण के संदर्भ में कानून पर हुए विस्तृत कार्य के भाग के रूप में यह लेख उन हितों की खोज करता है जो कि नए कानून में समाहित हुए हैं ।

1999 का व्यापार चिन्ह अधिनियम विदेशी व्यापार चिन्हों को संरक्षण देने के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों में विकसित विचारों एवं सिद्धांतों का निश्चित रूप व उसका सुदृढ़ीकरण है । नए कानून को समझने का सर्वोत्तम उपाय, इसके विकास के कारणों की खोज करना है । वाणिज्य वस्तु के स्वामी या स्रोत का संकेत देने के लिए उन पर चिन्हों के अंकित करने की पद्धति काफी समय से प्रचलन में रही है । इसका एक उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे हैं । ऐसे चिन्ह कराधान, करउगाही व नौप्रेषण के लिए उत्पाद के स्रोत की पहचान के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए जाते थे । किंतु समकालीन अर्थ में व्यापार चिन्हों का संपत्ति अधिकार के रूप में निर्माण, इंग्लैंड के सामान्य कानून के अनुसार ही है । जिस तरह भारतीय व्यापार चिन्ह कानून सिर्फ मामूली रूपांतरों के साथ अंग्रेजी कानून को केवल पुनः प्रस्तुत करता है उसे देखते हुए हमें इंग्लैंड में व्यापार चिन्ह कानून के विकास से इसके स्वरूप को समझना होगा ।

सामान्य कानून में व्यापार चिन्ह

सर्व प्रथम हम यह समझेंगे कि 'सामान्य कानून' का क्या अर्थ है। इंग्लैंड के इतिहास के आरंभ में न्यायधीश उपयोग व समाज के रिवाज एवं समानता व न्याय की प्रचलित धारणाओं के आधार पर प्रकरणों का निपटारा करते थे। न्यायधीश प्रकरणों पर निर्णय देने में पूर्व निर्णयों पर आश्रित रहते थे। जिस तरह समान प्रकरणों में एक जैसे निर्णय दिए गए उससे विभिन्न तर्कों एवं सिद्धांतों का रूपांतरण कार्य हुआ। तत्पश्चात अदालतों ने इन सिद्धांतों का कानून के रूप में अनुसरण किया। पूर्ववर्ती नियमों की इस प्रक्रिया के द्वारा अनेक क्षेत्रों में न्यायधीशों द्वारा बनाए गए कानून का विकास हुआ। जिसे सामान्य कानून कहा गया। सामान्य कानून, सांविधिक कानून के विपरीत है। सांविधिक कानून राजाओं द्वारा जारी लिखित निदेश थे। कालांतर में राजा को सांविधिक कानून के स्रोत के रूप में विधान मंडल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उदाहरण के लिए 1999 का व्यापार चिन्ह अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित एक सांविधिक कानून है।

'नए संसार' के रूपांतरण के साथ सामान्य कानून अमरीका, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया में अपनाया गया था। कालांतर में इसे भारत सहित अन्य उपनिवेश देशों द्वारा अपनाया गया था। समय व्यतीत होने के साथ विधानमंडलों के अधिनियमन ने सामान्य कानून को समाहित कर लिया। इस प्रकार सामान्य कानून का अधिकार क्षेत्र क्रमिक रूप से सीमित हो गया है जबकि अधिकांश विवरणों के लिए प्रावधान बनाने के लिए सांविधिक कानून की उत्पत्ति हो गई है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह एक प्राचीन उक्ति है कि "किसी को भी अन्य व्यक्ति की संपत्ति चुरानी नहीं चाहिए।" व्यापार एवं वाणिज्य के विस्तार के साथ उपर्युक्त युक्ति "किसी को भी अन्य व्यक्ति की सद्भावना को अपनाना नहीं चाहिए" के निष्कर्ष में परिवर्तित हो गई। ब्रिटिश अदालतों ने इस निष्कर्ष को काफी शीघ्रता से ग्रहण किया। 1617 में सदर्न v हाऊ केस में एक पूर्व प्रकरण के सारांश को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एक वस्त्र विक्रेता ने काफी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। उसने स्वः निर्मित वस्त्रों पर अपने चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ किया। अन्य वस्त्र विक्रेता ने उसी चिन्ह का प्रयोग धोखा देने व लाभ कमाने के लिए किया। अदालतों ने उसके इस कार्य को अनुचित ठहराया। इस प्रकार काफी पहले ही यह स्थापित हुआ कि किसी को भी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अपनाना नहीं चाहिए।

1800 ई. के मध्य में प्रस्ताव में यह कथन व्यक्त हुआ कि 'किसी भी व्यक्ति को अपनी वस्तुओं का किसी दूसरे की वस्तुओं के रूप में प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं है' व 'किसी भी व्यक्ति को अपनी वस्तुओं को छलपूर्वक किसी दूसरे की वस्तुएँ बताने का कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में 1842 में अभिव्यक्त हुआ सूत्र यह था कि "कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति की वस्तुओं के धोखे में नहीं बेचेगा"। इस सिद्धांत की विशेषताओं को समझने में लिए हमें चिन्हों के उपयोग के संबंध में विकास की सामान्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखने की

आवश्यकता है। प्रारंभ में शिल्पकारों व व्यापारियों ने अपनी वाणिज्यिक वस्तुओं पर अपने नामों या चिन्ह का प्रयोग किया। अन्य व्यक्ति को सद्भावना एवं प्रतिष्ठा हथियाने के लिए सिर्फ चिन्ह की नकल या समान चिन्ह का प्रयोग करना होता था। प्रकरण में पीड़ित पक्ष को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अदालतों ने प्रश्न किया कि किसने चिन्ह का सर्व प्रथम उपयोग प्रारंभ किया। यह अन्य व्यक्ति ही था जो प्रथम उपभोक्ता के व्यापार चिन्ह का छलपूर्वक प्रयोग कर रहा था। अदालतों ने इस प्रकरण का समाप्त चिन्ह का सर्व प्रथम उपयोग करने वाले व्यक्ति को चिन्ह के अधिकार के लिए मान्य घोषित करके किया। इस संबंध में अदालतों की स्थिति इस प्रकार थी।

कोई व्यापारी जो अपनी वस्तुओं पर अपने चिन्ह की मोहर लगाता है उसे उस चिन्ह पर संपत्ति अधिकार प्राप्त हो जाता है एवं संपत्ति के इस प्रकार को संपत्ति के अन्य प्रकारों की तरह कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है व ऐसी संपत्ति के स्वामी के अधिकार का हनन रोकने के लिए चांसरी अदालतों ने सभी समान संदर्भों में उपाय किया जिसके अंतर्गत संपत्ति के सभी प्रकारों में उनका अधिकार एवं उपभोग स्वामी के लिए सुरक्षित हो जाता है।

इस बिंदु को स्पष्ट किया गया था।

एक व्यापारी एक विशिष्ट चिन्ह के संपत्ति अधिकार को सिर्फ इसके प्रयोग के द्वारा या अपनी वस्तुओं के संबंध में ऐसे उपभोक्ता वर्ग के विस्तार एवं अपने व्यापार की सीमा का विचार किए बिना प्राप्त करता है तो संपत्ति के ऐसे अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चिन्ह का प्रयोग रोकने के लिए व्यादेश के द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

इस प्रकार अदालतों ने व्यापार चिन्ह को अपने आप में संपत्ति के अधिकार के रूप में माना। अदालतों ने मान्य किया कि व्यापार चिन्ह के प्रकरण में व्यक्ति को साबित करना होगा कि पूर्व उपयोग के आधार पर उसका व्यापार चिन्ह पर अधिकार है व उसे व्यापार चिन्ह को अपनाने की प्रक्रिया को प्रदर्श करना होगा। अदालतों द्वारा व्यापार चिन्ह में एकाधिकार व इसके स्वामी द्वारा इसके अनन्य उपयोग के विकास के पश्चात अनेक संबंधित मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए। विचार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा व्यापारी द्वारा अपनाया जाने वाला नाम था।

व्यापारी प्रायः अपने पारिवारिक नामों या उस नगर के नाम पर अपने व्यवसाय का नाम रखते थे जहाँ उनका व्यवसाय स्थित होता था। विशिष्ट संदर्भ में यह शिल्पकारों व वस्तुओं की उत्पत्ति के संकेत एवं पहचान का तरीका रहा होगा। किंतु किसी विशिष्ट व्यापारी के संपत्ति अधिकार के रूप में उपनाम या भौगोलिक नाम को मान्य करने का अर्थ समान उपनाम व समान शहर में स्थित अन्य व्यवसाय के व्यवसायियों को उपर्युक्त नामों पर व्यवसाय करने से रोकना होगा। इसका अर्थ व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यवसाय या वस्तु का किसी एक के द्वारा अपनाना

होगा । इसी तरह की स्थिति व्यापारी के द्वारा अपने उत्पाद पर चिन्ह की मोहर लगाते हुए उसे ऐसा नाम देने की है जो कि वस्तु का वर्णन या उत्पाद की कीमत को उजागर करता है । ऐसे चिन्हों में संपत्ति को मान्य करने का अर्थ यह होता कि प्रतिद्वंदी व्यापारी उन विशेषणों के द्वारा अपनी वस्तुओं के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हो जाता । इसका परिणाम अनन्य उपयोग के लिए भाषा के निश्चित विशेषणों का किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपनाने से होगा ।

इस प्रकार किसी भी व्यापारी को उपनामों, भौगोलिक स्थलों व विशेषणात्मक एवं प्रशंसात्मक शब्दों को अपनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी । दूसरी ओर व्यापारी अपने व्यवसायों में लंबा समय व्यतीत कर चुके हो सकते थे व प्रत्येक व्यक्ति की तरह उन्हें भी संरक्षण की आवश्यकता थी । प्रतिद्वंदी दावों को भी संतुलित किया जाना आवश्यक था । इन दावों को विशिष्टता की संकल्पना का विकास कर संतुलित किया गया । अदालतों ने वर्णात्मक शब्दों, उपनामों, भौगोलिक नामों पर अधिकार को तभी मान्य किया जब व्यापारी यह प्रदर्श कर सके कि व्यापक उपयोग के कारण ये नाम व्यापारी की वस्तुओं के लिए विशिष्ट हो चुके थे । इसका अर्थ यह है कि क्रेताओं के मस्तिष्क में शब्द का प्रारंभिक अर्थ लुप्त हो गया हो व यह व्यापारी की वस्तुओं के लिए विशिष्ट हो गया हो ।

अब हम देख सकते हैं कि इस श्रेणी में विभिन्न विषय वस्तुओं से व्यवहार करने में अदालतों को कितने सरोकारों को ध्यान में रखना होता था । स्टाऊर के लिए 'नोरिशिंग' व्यापार चिन्ह का प्रकरण दर्ज किया गया था । इस प्रकरण में व्यापार चिन्ह पर अधिकार को मान्य नहीं किया गया था । अदालत ने कहा "सामग्री के गुण का वर्णन कर रहे केवल अंग्रेजी के विशेषण के अतिरिक्त भी प्रकरण में कुछ और है" । इस प्रकार अदालतों की स्थिति का सार प्रस्तुत किया गया था ।

"अभिकथित उल्लंघन के समय यदि कोई चिन्ह संरक्षित नहीं था तो यह विशिष्टता के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा था व मालिक की वस्तुओं व अन्य व्यक्तियों की वस्तुओं में भेद करने में समर्थ था ।

कुछ शब्द जैसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, संपूर्ण अंतर्निहित रूप से अंतर करने में समर्थ नहीं थे अतः इन्हें पंजीकृत नहीं किया जा सकता । वर्णात्मक शब्दों के ऊपर अधिकार को मान्य करने में अदालतों की दुविधा को इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया था । "सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के अधिकाँश भाग से आम जनता को अलग रखने के इच्छुक व उनके वर्तमान एवं भविष्य को इस स्थान से वंचित रखने के धनी व्यापारियों के प्रयास" अदालतों की अन्य आशंका का वर्णन इस प्रकार किया गया था ।

बड़ी व समृद्ध फर्मों जिनके साथ जन साधारण मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहता, पारस्परिक प्रशंसा के द्वारा उनके मध्य अंग्रेजी भाषा के वर्णन एवं प्रशंसा के साधारण शब्दों को विभाजित कर सकती हैं ।

ऐसी ही आशंका स्थानों के नामों में व्यापार चिन्ह अधिकारों की मान्यता से संबंधित थी "लीवरपूल केवल्स" व्यापार चिन्ह पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे एक प्रकरण में अदालत ने टिप्पणी की

"लीवरपूल इंग्लैंड के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है व मेरे अनुसार उसका नाम निर्माता या वस्तुओं के वितरक के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए व इन व्यक्तियों को ऐसे शब्दों पर एकाधिकार स्थापित किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे पूर्णतः यह अर्थ निकले कि वस्तुएँ लीवरपूल से आती हैं ।"

व्यापार चिन्ह में अधिकार को मान्य किए जाने से

"पहले से लीवरपूल में केबिल का व्यापार कर रहे व्यापारी या कालांतर में व्यापार करने को इच्छुक व्यापारियों को उलझन होगी व यदि ऐसे व्यापारियों को "लीवरपूल केबिल्स" शब्दों का प्रयोग करने से रोका जाता है तो उन्हें अपनी वस्तुओं का वर्णन करने में कठिनाई होगी ।"

एक ओर यदि व्यापार चिन्ह प्रारंभ करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार को मान्य किया जाना महत्वपूर्ण था, तो दूसरी ओर यह अधिकार अन्य व्यक्तियों को उस शब्द या चिन्ह से वंचित कर रहा था । इस प्रकार अदालतों के द्वारा मान्य किए जा सकने वाले अधिकारों के संबंध में चिन्हों की मितव्ययता आवश्यक थी । इसके लिए अदालतों ने नियम बनाया कि व्यापार चिन्ह पर अधिकार को व्यापारी द्वारा उत्पादित सभी समान वस्तुओं तक सीमित रहना चाहिए । अदालतों के इस नियम को उन्नीसवीं शताब्दी के कालांतर के संदर्भ में समझा जा सका । फर्मों ने ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वस्तुएँ उत्पादित कीं: जिनके इन्होंने ऐतिहासिक रूप से कौशल व जानकारी हांसिल कर ली थी । असमान वस्तु पर समान चिन्ह के प्रयोग से आम जनता के मध्य कोई गलत अवधारणा बनने वाली नहीं थी । इस प्रकार अदालतों ने व्यापार चिन्ह के ऊपर अधिकार को सिर्फ समान वस्तुओं के संदर्भ में मान्य किया ।

इस तरह ब्रिटिश अदालतों ने व्यापार चिन्हों में अधिकारों को मान्य किए जाने के लिए सिद्धांतों को विकसित किया । इसे व्यापार चिन्हों के उल्लंघन के विरुद्ध सामान्य कानूनी कार्रवाई के रूप में जाना गया । व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के साथ व्यापारी के लिए अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए व्यापारिक चिन्हों का भ्रामक उपयोग ही एकमात्र रास्ता नहीं था, क्योंकि यह किसी अन्य के

अधिकार में था । इसका भ्रामक प्रयोग समरूपी पैकेजिंग, पैकेज के तैयार होने व अन्य वर्णनों के द्वारा हो सकता था । ये सभी हालाँकि व्यापार चिन्ह उल्लंघन के दायरे में नहीं आते थे, किंतु तब भी सद्भावना एवं अस्वीकृति विनियोजन के उदाहरण थे । अदालतों ने ऐसे विवादों को मान्य किया व छलपूर्वक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इनका उपाय किया । इस प्रकार सामान्य कानून के द्वारा दो कानूनों व्यापार चिन्ह उल्लंघन व 'पासिंग आफ' का विकास हुआ ।

व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से 1875 में व्यापार चिन्ह अधिनियम को अधिनियमित किया गया । इसने अदालतों द्वारा व्यापार चिन्ह में संपत्ति के संबंध में बनाए गए नियमों को संहिताबद्ध किया । अधिनियम ने उपयोग के आदार पर व्यापार चिन्ह में विकसित अधिकार के सिद्धांतों को मान्य किया । इसके अतिरिक्त इसने व्यापार चिन्ह को पंजीबद्ध किए जाने का प्रावधान किया । इसके द्वारा चिन्ह का प्रयोग कर रहा व्यापारी इसे पंजीकृत करा सकता था । पंजीकरण सिर्फ उपभोक्ता के प्रामाणित किए जाने पर एवं व्यापारी की वस्तुओं को व्यापार चिन्ह के द्वारा विशिष्ट किए जाने की कसौटी पर खरा उतरने पर ही किया जा सकता था । पंजीकरण प्राप्त होने के पश्चात यह व्यापार चिन्ह उल्लंघन के लिए सभी अदालती कार्यवाहियों के लिए स्वामित्व का सबूत बन जाता था । इसने मुकदमेंबाजी के खर्चों को काफी सीमा तक कम कर दिया था । 1875 के ब्रिटिश व्यापार चिन्ह अधिनियम का 1883 के एकरूप, अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह अधिनियम के द्वारा निरसन एवं प्रतिस्थापन किया गया था । इस अधिनियम का 1905 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापन किया गया था । अगला पुनः अधिनियम 1938 का व्यापार चिन्ह अधिनियमन था । इस तरह व्यापार चिन्हों के पंजीकरण व इसके उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण पर कानून का सांविधिक अधिनियमनों के द्वारा विकास हुआ । इसी के समान सभी गैरपंजीकृत व्यापार चिन्हों व सद्भावना के विनियोजन के अन्य प्रकरणों में व्यापार चिन्ह कानून सामान्य कानून के द्वारा राहत प्राप्त की जा सकती थी । ब्रिटिश अदालतों ने छलपूर्वक प्रयोग पर अपने कानून को बनाने व उसे विस्तार देने का कार्य जारी रखा ।

भारत ने 1938 के ब्रिटिश व्यापार चिन्ह अधिनियम को अपनाया व व्यापार चिन्ह पर अपना प्रथम अधिनियम 1940 का व्यापार चिन्ह अधिनियम बनाया । इस अधिनियम ने व्यापार चिन्हों के पंजीकरण व उनके उल्लंघन से संरक्षण के लिए प्रावधान बनाए । भारतीय अदालतों ने पहले ही छलपूर्वक उपयोग के सामान्य कानून के अंतर्गत व्यापार चिन्हों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था । स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने 1958 का नया 'व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम' बनाया । यह अधिनियम सितंबर 2003 तक लागू रहा । क्रियात्मक प्रवर्ती कानून अब 1999 का व्यापार चिन्ह अधिनियम है ।

उत्तरोत्तर अधिनियमनों ने व्यापार, वाणिज्य एवं व्यावसायिक पद्धतियों में परिवर्तनों के संदर्भ में कानून को सुदृढ़ता प्रदान की है । इन विभिन्न अधिनियमों के रुझान भी भिन्न थे । 1958 के

अधिनियम ने जहाँ घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया वहीं नए अधिनियम ने पूर्व अधिनियम की इस नीति को त्याग कर विदेशी व्यापार चिन्हों को संरक्षण प्रदान किया है । मौजूदा कानून को समझने का सर्वोत्तम तरीका पिछले 45 वर्षों से लागू 1958 के व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं व कार्यशैली एवं पिछले 50 सालों में छलपूर्वक उपयोग में हुई बढ़ोत्तरी को जानना होगा । इस तलशिला पर हम 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों की खोज कर सकते हैं ।

1958 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

1958 का व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु अधिनियम, व्यापार चिन्ह रजिस्टर को बनाए जाने का प्रावधान करता है । विभिन्न व्यक्ति एवं फर्म, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के कार्यालय में आवेदन जमा कर अपने व्यापार चिन्हों को पंजीकृत करा सकती थी । रजिस्ट्री का मुख्य कार्यालय मुंबई में हैं जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, चैन्नई, बेंगलूर व कोलकाता में हैं । अधिनियम में चिन्ह के पंजीकरण की स्वीकृति या अस्वीकृति के आधार के विस्तृत प्रावधान हैं । चिन्ह के पंजीकरण के समय प्रमुख सरोकार यह रहता था कि चिन्ह को वस्तुओं की उत्पत्ति के साथ विशिष्ट होना चाहिए । व्यापार चिन्ह को केवल वस्तुओं के विशिष्ट वर्ग में आने वाली विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में पंजीकृत कराया जा सकता है । हम सर्व प्रथम व्यापार चिन्ह पंजीकरण के संबंध में वस्तुओं के वर्ग की संकल्पना की खोज करेंगे ।

वस्तुओं का वर्ग

व्यापार चिन्ह अधिनियम व इसके नियमों के अंतर्गत 34 वर्ग आते हैं । एक वर्ग समान व संबंधित वस्तुओं को समाहित करता है ।

किसी व्यक्ति को आवेदन पत्र जमा करते समय उपयोग किए जा रहे व्यापार चिन्ह के संबंध में वस्तु एवं उस वर्ग को विशेष रूप से उल्लिखित करना आवश्यक था जिसमें वस्तु आती है । पंजीकरण सिर्फ विशिष्ट वर्ग के लिए किया गया था । इस प्रकार यदि व्यक्ति उसी या मिलते-जुलते चिन्ह का प्रयोग उसी वस्तु के लिए करता है तो व्यापार चिन्ह उल्लंघन के अधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी । उदाहरण के लिए अमूल का डेयरी उत्पाद के रूप में वर्ग 29 में पंजीकरण है । वर्ग 29 निम्नलिखित वस्तुओं को समाहित करता है ।

वर्ग 29 : माँस, मछली, मुर्गियाँ, माँस का अर्क, परिरक्षित सुखाए हुए एवं पकाए फल व सब्जियाँ, चटनी, मुरब्बा, अंडे, दूध व अन्य डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल व चर्बीयुक्त पदार्थ व परिरक्षित अचार

यदि अन्य उत्पाद समान नाम या छलपूर्वक मिलते जुलते चिन्ह जैसे 'अनूल' का डेयरी उत्पाद के संबंध में प्रयोग करता है, तो यह व्यापार चिन्ह उल्लंघन का प्रकरण होगा । चूँकि अमूल व्यापार नाम का पंजीकृत मालिक है अतः व्यापार चिन्ह का प्रयोग करने पर तुरंत रोक लग जाएगी । किंतु यदि उत्पादक अमूल के व्यापार नाम का प्रयोग करते हुए 'मिनरल वॉटर' बेचना प्रारंभ करता है तो यह व्यापार चिन्ह उल्लंघन का प्रकरण नहीं होगा, क्योंकि अमूल वर्ग 32 में पंजीकृत नहीं हैं । वर्ग 32 में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हैं ।

वर्ग 32 : बीयर, एल व पोर्टर (क्रमशः माल्ट एवं गहरे रंग की शराब), मिनरल एवं वायु मिश्रित जल व अन्य अल्कोहल रहित पेय, शर्बत एवं पेय पदार्थ बनाने की अन्य सज्जाएँ

यह सिर्फ छलपूर्वक उपयोग का प्रकरण हो सकता है कि कोई निर्माता मिनरल वाटर बेचकर यह भ्रम उत्पन्न करे कि इसकी उत्पत्ति ऐसी फर्म में हुई है जिसे प्रसिद्ध व्यापार नाम अमूल का स्वामित्व प्राप्त है ।

यदि वास्तव में छलपूर्वक उपयोग का कोई प्रकरण है तो इसकी कार्रवाई में अदालत को संतुष्ट होना होता है कि प्रकरण में छलपूर्वक उपयोग किनके द्वारा किनके लिए हो रहा है इस प्रकार ऐसे प्रकरण में राहत तुरंत या शीघ्र प्राप्त नहीं होती ।

इस तरह सिर्फ वर्ग (es) के लिए पंजीकृत व्यापार चिन्ह के अधिकार में वृद्धि हुई है । जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि केवल विनिर्दिष्ट वस्तुओं व वर्गों के लिए अधिकारों को मान्य किए जाने की विचार की उत्पत्ति सामान्य कानून में 1875 के प्रथम व्यापार चिन्ह अधिनियम के पूर्व हुई है । उस समय वस्तुओं का वर्ग व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में निहित था एवं फर्मों में कौशलों के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने की प्रवृत्ति थी । किंतु व्यवसायों के विस्तार के साथ फर्मों विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सक्रिय हुई हैं । अब वर्गों का आधार संदर्भ की परिधि में सीमित नहीं है । किंतु भारतीय अदालतों ने लिखित कानून का अनुसरण करते हुए वर्ग के अंदर अधिकार को और सीमित कर दिया है । वजीर सुल्तान लिमिटेड का वर्ग 34 के अंतर्गत 'चारमीनार' नाम का पंजीकरण था । यह विनिर्माणी सिगरेट थी । वर्ग 34 में कच्ची या उत्पादित तंबाकू, उपभोक्ता वस्तुएँ वर्णित हैं । एक अन्य कंपनी ने "चारमीनार क्वॉम" व चबाने वाली तंबाकू में व्यापार प्रारंभ किया । उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी वर्ग विशिष्ट के लिए पंजीकरण होने पर भी अधिकार सिर्फ उन्हीं वस्तुओं तक सीमित हैं जिनसे संबद्ध व्यापार व्यक्ति कर रहा है । इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूँकि वजीर सुल्तान सिर्फ सिगरेटों का उत्पादन कर रही थी । अतः व्यापार चिन्ह पर इसका अधिकार सिर्फ धूम्रपानकर्ता की वस्तुओं तक सीमित था । इस सिद्धांत को बोरोसाइल प्रकरण में महत्व प्रदान किया गया था ।

चिन्ह के पंजीकरण की आवश्यकताएँ

किसी व्यापार चिन्ह को निश्चित मानदंडों के अनुरूप खरा उतरने पर ही पंजीकृत किया जा सकता है । इसको निम्नलिखित स्थितियों में पंजीकृत नहीं किया जा सकता ।

1. कानून के विपरीत प्रयोग : विभिन्न कानून निश्चित नामों या चिन्हों के प्रयोग को निषेध कर सकते हैं या उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं । उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम में राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग पर लगी रोक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक आदि के अनाधिकृत प्रदर्शन का निषेध करती है । इसी तरह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम ISI (आइ.एस.आइ.) चिन्ह के अनाधिकृत प्रयोग का निषेध करता है । ऐसे चिन्हों को व्यापार चिन्हों के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता ।
2. वर्णात्मक या प्रशंसात्मक शब्द : वर्णात्मक या प्रशंसात्मक शब्दों को पंजीकृत नहीं किया जा सकता । इसका सर्वोत्तम वर्णन नए व्यापार चिन्ह अधिनियम की निम्न शर्तों में मिलता है ।

वे व्यापार चिन्ह जिनके अंतर्गत अनन्य रूप से ऐसे चिन्ह या संकेत शब्द आते हैं जो व्यापार में प्रकार, गुण, परिमाण, आशयपूर्ण उद्देश्य, मूल्यों, भौगोलिक उद्गम या वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं को प्रदान किए जाने के समय या वस्तुओं या सेवाओं की अन्य विशेषताओं को अभिहित करते हैं, उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

इसके सिद्धांत को सामान्य कानून के अंतर्गत ही बनाया गया था व इसे प्रथम अधिनियम के पश्चात प्रस्तावित किया गया था । 100 वर्षों से भी अधिक समय से अदालतों ने इसे विस्तृत रूप दिया है । प्रारंभ में यदि व्यवसाय संचालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम, पारिवारिक नाम, स्थान या स्थलों के नाम आते थे तो अब उपर्युक्त नामों के स्थान पर वह नाम उपयुक्त माना जाता है जो वस्तु का वर्णन करें या उसे प्रचारित करे । उपर्युक्त प्रावधान ऐसा होने के लिए सभी संभव तरीकों का ध्यान रखता है ।

3. भ्रम एवं छल : चिन्ह के पंजीकरण की अन्य आवश्यकता यह है कि इसे ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओं को छला जा सके व उनके मध्य भ्रम उत्पन्न हो । यह विशिष्टता पर जोर देने का अन्य माध्यम है । इसके द्वारा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा व्यापार चिन्ह पंजीकृत न हो जिसके द्वारा पंजीकृत व्यापार चिन्ह की संपत्ति में दखल देने की संभावना हो । इसके लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री को

रजिस्टर में उस वर्ग का परीक्षण करना होता है जिसके लिए आवेदन किया गया है व इसे संतुष्ट होना होता है कि आवेदित किया गया चिन्ह पंजीकृत व्यापार चिन्ह के अधिकारों का उल्लंघन न करता हो ।

रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन की अनुमति दिए जाने के पश्चात आवेदन का विज्ञापन व्यापार चिन्ह जर्नल में प्रकाशित कराया जाता है । इस प्रकाशन का कारण जनता को इस बात का मौका देने का है कि चिन्ह के द्वारा धोखा दिए जाने या भ्रम पैदा किए जाने की संभावनाओं के आधार पर उसके पंजीकरण का विरोध किया जा सके । अदालतों ने अनेक बार व्यापार चिन्ह के धोखा देने या भ्रम पैदा करने के विषय में निर्णय में प्रयुक्त होने वाले मानदंडों को स्पष्ट किया है । लार्ड पारकर द्वारा 'पियानोरिस्ट कंपनी लिमिटेड के आवेदन में 1906 में प्रयोग किए गए निम्नलिखित अंश का प्रायः उदाहरण दिया जाता है ।

आपको दो शब्दों को लेकर उनके रूप व ध्वनि के आधार पर उन्हें आंकना चाहिए । आपको प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं एवं संभावित ग्राहकों के वर्ग व उनकी प्रकृति पर भी विचार करना चाहिए । वस्तुतः आपको सभी मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करना चाहिए । इसके अतिरिक्त आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि यदि चिन्हों के सम्मानीय मालिकों की वस्तुओं के लिए यदि दोनों चिन्हों में से प्रत्येक चिन्ह का सामान्य रूप से प्रयोग हो, तो किस परिणाम की संभावना होगी । यदि सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भ्रमित स्थिति निर्मित होगी अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति को नुकसान होगा व अन्य को अनुचित लाभ होगा । किंतु आम जनता के मन में भ्रम उत्पन्न होगा जो कि वस्तुओं से संबंधित भ्रम को जन्म देगा तब आप न सिर्फ पंजीकरण से बल्कि उस प्रकरण में पंजीकरण से इंकार कर सकते हैं ।

भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 'जेम्स चाडविक प्रकरण' में पंजीकरण के नियम का विस्तृत रूप से उल्लेख किया :

ऐसे प्रकरणों में लागू होने वाले कानून के सिद्धांतों का भली-भाँति प्रयोग हो रहा है । यह आवेदक का दायित्व है कि वह साबित करे कि पंजीकरण के लिए जमा व्यापार चिन्ह का प्रयोग छल या भ्रम उत्पन्न करने के लिए नहीं होगा । ऐसे प्रकरणों में निर्णय करने में वास्तविक प्रश्न क्रेता, जिसे औसत बुद्धि का सामान्य व्यक्ति माना जाना चाहिए, के द्वारा किसी विशेष व्यापार चिन्ह पर व्यक्त प्रतिक्रिया, व्यापार चिन्ह को देखकर उससे स्थापित किए जाने वाले संबंध व उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु एवं व्यापार चिन्ह के मध्य संबंध में निहित है ।

गैर उपभोक्ता खंड

अधिकांश प्रकरणों में कोई व्यापार चिन्ह तभी पंजीकृत किया जा सकता है जब यह पहले से ही प्रचलन में हो। वर्णात्मक शब्दों, उपनामों या व्यक्तिवाचक नामों को भी केवल यह स्थापित होने पर पंजीकृत किया जा सकता है कि ये शब्द व नाम व्यापारी की वस्तुओं के साथ विशिष्ट हो चुके हैं। इन प्रकरणों में सिर्फ पूर्ववर्ती उपयोग के आधार पर पंजीकरण हो सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा गढ़े हुए शब्दों में भी पंजीकरण उस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में उस चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ कर दिए जाने की स्थिति में हो सकता है। किसी चिन्ह का पंजीकरण उपयोग के उद्देश्य के बिना संभव नहीं था। कोई भी व्यक्ति सिर्फ शब्दों व चिन्हों को पंजीकृत करके उन पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है।

अधिनियम में प्रयोग नहीं किए जा रहे चिन्हों को रजिस्टर से हटाने के प्रावधान हैं। व्यापार चिन्ह कानून के अंतर्गत किसी चिन्ह का सात वर्ष का पंजीकरण मान्य किया जाता है। इसके पश्चात हर सात वर्षों में आवश्यक शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण का नवीनीकरण कर उसका अस्तित्व बनाए रखा जा सकता है। हालाँकि किसी पंजीकृत व्यापार चिन्ह को उपयोग न किए जाने के आधार पर उच्च न्यायालय या पंजीकार के पास आवेदन जमा कर रजिस्टर से हटाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 46 में प्रावधान है कि यदि किसी चिन्ह का प्रयोग 5 वर्षों व एक माह से निरंतर नहीं हो रहा है तो किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिए जाने पर इसे पंजिका से हटाया जा सकता है। यह प्रावधान व्यापार चिन्हों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए समाविष्ट किया गया था व इस प्रावधान ने विदेशी व्यापार चिन्हों की पंजीकरण प्रक्रिया को काफी प्रभावित किया था।

विदेशी चिन्हों का पंजीकरण

स्वतंत्र भारत में घरेलू उद्योगों की उन्नति को प्रमुखता दी गई थी। तदनुसार 1958 के व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम ने ऐसे प्रावधानों को समाविष्ट किया। जिन्होंने विदेशी व्यापार नामों को हतोत्साहित किया व भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। हम देखेंगे कि किस तरह कानूनी व आर्थिक परिदृश्य के संयोजन में कानून के प्रावधानों ने यह प्रभाव उत्पन्न किया।

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने विदेशी निवेश एवं संयुक्त उद्यमों को हतोत्साहित किया। घरेलू निर्माताओं को संरक्षण देने के लिए वस्तुओं के आयात पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया था। आयात पर इस नियंत्रण के अंतर्गत आयात पर प्रतिबंध, आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं के नियमन एवं आयात को अलाभकर बनाने के लिए अत्यधिक सीमाशुल्क शामिल थे।

विदेशी फर्मों को अपने व्यापार चिन्हों के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त करने में अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ा। अन्य देशों में व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत उपनामों को तभी पंजीकृत कराया जा सकता था, जब ये विशिष्ट हो चुके हों। विशिष्टता का यह गुण सिर्फ व्यापार चिन्ह के प्रयोग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। चूँकि वस्तुएँ वास्तविक रूप से भारतीय बाजार में नहीं हो सकती थी। अतः विशिष्टता के इस मानदंड की पूर्ति नहीं हो सकती थी। इस मानदंड के कारण उपनामों को पंजीकृत नहीं कराया जा सकता था व कुछ प्रसिद्ध ब्रांड जैसे सियर्स, लॉडर, हॉडा, सुजूकी, एडीडास उपनाम ही थे। ये उपनाम पर्याप्त उपयोग के प्रमाण के बिना पंजीकरण की पात्रता नहीं पा सकते थे।

इसके अतिरिक्त रजिस्टर में दर्ज नामों को भी उपयोग न किए जाने के आधार पर हटाया जा सकता था। उदाहरण के लिए एक अमरीकी कंपनी आर. जे. रेनाल्डस भारत सहित लगभग 80 देशों में व्यापार चिन्ह 'नाउ' की पंजीकृत स्वामी थी। इसका कार्य भारत के अतिरिक्त अनेक देशों में सिगरेट की बिक्री करना था। भारत में सिगरेटों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक प्रतिद्वंदी भारतीय कंपनी 'इंडियन टोबेको कंपनी' (आइ.टी.सी.) ने बाजार में अपने ब्रांड 'नाऊ' को प्रस्तुत किया व रजिस्टर से 'नाऊ' नाम को हटाने का संशोधन करने के लिए आवेदन किया। आई.टी.सी. रजिस्टर से 'नाऊ' को हटवाने में सफल रही।

इसी तरह एक भारतीय कंपनी ने स्वयं को तोशीबा उपयंत्र कंपनी के तौर तरीकों में ढाला व अपने विद्युत उपयंत्रों के लिए व्यापारिक नाम तोशीबा का प्रयोग प्रारंभ किया। जापान के तोशीबा निगम ने इस दुर्विनियोजन पर आपत्ति की। तोशीबा निगम कुछ अन्य विदेशी निगमों की तरह भारत में जारी आयात प्रतिबंधों के संदर्भ में 1990 तक अपनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में नहीं ला सका। इसी दौरान भारतीय कंपनी उपयोग न किए जाने के आधार पर 'तोशीबा' नाम को रजिस्टर से हटवाने में सफल रही। इसी तरह एडीसन प्रकरण में अदालत ने आयात के अलाभकारी होने के कारण भारतीय बाजार में वस्तुओं के न होने को रजिस्टर में व्यापारिक चिन्ह के बने रहने के लिए विशेष परिस्थिति मानने से इंकार कर दिया था।

अवैध व्यापार रोकने के लिए किए गए कार्य

व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत व्यापार चिन्हों का सिर्फ किसी निश्चित विशिष्ट वर्ग में पंजीकरण किया जाता था। अपंजीकृत चिन्हों के लिए, चिन्हों का वस्तुओं के संबंध में अन्य वर्गों में उपयोग, सद्भावना का व्यापार चिन्ह के दुरुपयोग के अतिरिक्त अपनाये जाने के लिए सामान्य कानून के अंतर्गत जाली उपयोग के उपाय उपलब्ध थे। व्यापार चिन्ह उल्लंघन के प्रकरण में एक ओर जहाँ पंजीकरण अपने आप में व्यापार चिन्ह का अधिकार है वहीं व्यापार चिन्ह हस्तांतरण के प्रकरण में व्यक्ति को साबित करता होता है कि उपभोक्ता के द्वारा चिन्ह पैकेज या इसका प्रबंध

व्यापारी के साथ विशिष्ट हो गया है एवं क्रेताओं द्वारा वस्तुओं को उसके साथ संबद्ध किए जाने की संभावना है। निम्नलिखित प्रकरणों में भारतीय अदालतों ने अपने निर्णय दिए हैं :

1. कोई व्यापारी प्रतिष्ठित पंजीकृत व्यापार चिन्ह का अन्य वर्गों में समाविष्ट वस्तुओं के संबंध में प्रयोग करता है। इस तरह के उदाहरण विद्युत उपयंत्रों के लिए फियेट, वस्त्रों के लिए अमूल एवं इत्रों के लिए येरा आदि हैं। अदालतें भ्रम उत्पन्न होने की संभावना के आधार पर जाली उपयोग का मानदंड लागू कर देती हैं।
2. कोई व्यापारी किसी प्रतिष्ठित व्यापारिक नाम का प्रयोग अपनी कंपनी के नाम के लिए या किसी प्रतिष्ठित कंपनी के नाम का प्रयोग अपने व्यापार नाम के तौर पर करता है। उदाहरण के लिए एपिल कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा व्यापार नाम एपिल का प्रयोग, एलोरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा व्यापार नाम एलोरा का प्रयोग, महिंद्रा के द्वारा महिंद्रा जीप के लिए महिंद्रा का उपयोग एवं एस्कार्टस कंपनी के द्वारा एस्कार्टस का अनुसरण। अदालतों ने जाली उपयोग के नियमों के अनुसार विभिन्न पक्षकारों को राहत पहुँचाई है।

पिछले दशक में जाली प्रयोग के क्षेत्र में हुआ एक महत्वपूर्ण विकास कार्य विदेशी व्यापार चिन्हों से संबद्ध रहा है। वर्षों तक विदेशी व्यापार चिन्ह भारत में चिन्हों का छलपूर्वक प्रयोग नहीं कर सके क्योंकि वे भारत में उपयोग में नहीं लाए जाते थे। अदालतों ने स्पष्ट कर दिया था कि व्यापार चिन्ह का उपयोग सिर्फ वस्तुओं पर मोहर के रूप में व उन्हें भारतीय बाजार में उतार कर ही किया जा सकता है। किंतु अदालतों ने 1990 में अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हुए ऐसी विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापनों को मान्य किया जिन्हें भारतीय जनता पढ़ती थी। इस तरह अदालतों ने सीमा पार प्रतिष्ठा के लिए आधार निर्मित किया। व्हर्लपूल प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया।

यदि वादी भारत के अतिरिक्त संसार के अन्य देशों, भौगोलिक प्रदेशों में व्यापार चिन्ह व्हर्लपूल के द्वारा बिक्री कर रहा था, तो क्या वादी को भारत में जाली उपयोग के लिए 'सीमा पार' ख्याति का लाभ मिल सकता है या क्या उसकी सद्भावना/ख्याति को उन राज्य क्षेत्रों तक सीमित माना जाना चाहिए जहाँ वादी ने व्यापार चिन्ह का वास्तविक उपयोग सिद्ध किया है।

एवं उच्च न्यायालय ने इसका समाधान किया :

वादी क्रमांक 1 से संबंधित व्हर्लपूल संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा अर्जित कर रहा था। यह प्रतिष्ठा भारत में उपलब्ध या लाई जाने वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित व्यवसायिक प्रचार के द्वारा सीमा पार कर भारत आ रही थी। ऐसी पत्रिकाएं भारतीय समाज के उच्च या उच्च मध्यम वर्ग में प्रसारित हैं।

वादी क्रमांक 1 जाली उपयोग के उद्देश्य के लिए अपने उत्पाद वाशिंग मशीन की सीमा पार प्रतिष्ठा पर निर्भर रह सकता है ।

यह प्रकरण अपील में उच्चतम न्यायालय गया एवं उसे अनुमोदन प्राप्त हुआ । इस प्रकरण ने विदेशी निगमों के व्यापार चिन्हों के जाली उपयोग के प्रकरणों की श्रृंखला के लिए आधार बनाया । उदाहरण के लिए मर्सिडिज बेंज कार के जर्मनी के निर्माता ने वीआईपी बेंज अंडर गारमेंट्स की बिक्री का विरोध किया ।

व्यापार चिन्ह के जाली प्रयोग के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र विशेष में सीमित प्रभावी नामों को संरक्षण प्रदान करने में हुआ है । इस संदर्भ में भारतीय अदालतों में आया पहला प्रकरण एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित था जिसने क्षेत्र विशेष में प्रभावी नाम याहू डोट काम का प्रयोग प्रारंभ किया था । साइट का अभिविन्यास भी याहू की साइट से मिलता जुलता था । अमेरिका की याहू कंपनी ने जाली उपयोग के अंतर्गत प्रकरण में कार्रवाई प्रारंभ की । अदालत ने मान्य किया कि जाली प्रयोग के लिए इंटरनेट के प्रभावी नामों को लागू न किए जाने का कोई कारण नहीं था । तत्पश्चात प्रकरण दर प्रकरण अदालतों ने व्यापार चिन्ह के जाली प्रयोग के विरुद्ध इंटरनेट के प्रभावी नामों को संरक्षण प्रदान किया है ।

नया व्यापार चिन्ह कानून

व्यापार चिन्ह कानून की कार्यशैली के संदर्भ में हम 1999 के व्यापार चिन्ह अधिनियम के नए कानून के प्रावधानों का मूल्यांकन कर सकते हैं ।

1. सेवा चिन्ह का समावेश : 1958 का व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिन्ह अधिनियम सिर्फ वस्तुओं पर लागू होता था । अधिनियम एवं नियमों ने वस्तुओं के 34 वर्गों का प्रावधान किया था । वस्तुओं के संबंध में प्रयोग किए जा रहे व्यापार चिन्हों को किसी विशिष्ट वर्ग में पंजीकृत कराया जा सकता था । सेवाओं से संबंधित दुरुपयोग किए जाने वाले चिन्हों को सिर्फ जाली प्रयोग की कार्रवाई के द्वारा प्रतियोगिता में बनाया रखा जा सकता था । पिछले दो दशकों में सेवाएँ प्रमुख हो चुकी हैं । नए अधिनियम में सेवाओं की इस प्रमुखता का ध्यान रखा गया है । नए अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों ने सेवाओं को सात वर्गों में विभाजित किया है । किसी सेवा से संबंधित चिन्ह को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया जा सकता है । सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: बैंकिंग, संचार, शिक्षा, वित्त, बीमा, चिट फंड, वास्तविक संपदा, परिवहन, भंडारण, सामग्री संसाधन, प्रक्रिया, विद्युत या अन्य ऊर्जा स्रोत की

आपूर्ति, छात्रावास, आवास, आवभगत, मनोरंजन निर्माण, मरम्मत, समाचार या सूचना को पहुँचाना व विज्ञापन ।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अवधि : व्यापार चिन्ह को मान्य किए जाने की अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती कानून में एक ही व्यापार चिन्ह का विभिन्न वर्गों में पंजीकरण करने के लिए अलग से आवेदन देना होता था । नए कानून के अंतर्गत एक ही आवेदन के द्वारा एक से अधिक वर्गों में पंजीकरण कराया जा सकता है ।
3. व्यापार चिन्ह की विस्तृत परिभाषा : व्यापार चिन्ह की परिभाषा को वस्तुओं के आकार, उनकी पैकेजिंग व रंगों के समन्वयन के लिए विस्तृत किया गया है जिसके कोई चिन्ह वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे चिन्ह की वस्तुओं और सेवाओं से भेद करने में समर्थ हो सके । पूर्ववर्ती कानून में ऐसे चिन्हों का पंजीकरण संभव नहीं था ।
4. समूह चिन्ह : नए अधिनियम ने समूह चिन्ह की श्रेणी को समाविष्ट किया है । इसके अंतर्गत कोई संगठन समूह चिन्ह का पंजीकरण अपनी वस्तुओं व अपने सदस्यों की सेवाओं के विशिष्टीकरण के लिए करवा सकता है । इसके लिए संघ की सदस्यता की शर्तें व समूह चिन्ह के प्रयोग को नियंत्रित कर रहे नियमों की जानकारी देना व उनका अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है ।
5. प्रमाणीकरण चिन्ह : प्रमाणीकरण चिन्ह ऐसे व्यक्ति के लिए अन्य प्रस्तावना है जो वस्तुओं या सेवाओं को उनकी उत्पत्ति, सामग्री, उत्पादन की विधि, गुण एवं परिशुद्धता के आधार पर प्रमाणित करने में सक्षम हो ।
6. व्यापार चिन्ह उल्लंघन के अर्थ का विस्तार : पूर्ववर्ती कानून में पंजीकृत व्यापार चिन्ह से संबद्ध किसी वस्तु के संबंध में समरूपी या मिलते जुलते चिन्ह का प्रयोग व्यापार चिन्ह का उल्लंघन माना जाता था । इस तरह पंजीकरण का लाभ केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित था जिनसे संबद्ध चिन्ह पंजीकृत था । जैसा कि हम वजीर सुल्तान प्रकरण में देख चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि व्यापार चिन्ह का पंजीकरण किसी विशिष्ट वर्ग के प्राप्त किया गया है तो भी व्यापार चिन्ह का अधिकार वर्ग में सिर्फ निश्चित संबंधित वस्तुओं तक सीमित रहेगा । अन्य सभी के लिए व्यापारी को जाली प्रयोग का सहारा लेना होता था । नए अधिनियम ने व्यापार चिन्ह के संरक्षण की परिधि को विशाल रूप दिया है । नए कानून के विषय क्षेत्र पर निम्नलिखित दो शीर्षों में चर्चा की गई है ।

- (अ) विभिन्न वर्गों में समान वस्तुएँ : यदि कोई व्यक्ति समरूपी या मिलते जुलते चिन्ह का समरूपी या समान वस्तुओं के लिए प्रयोग करता है व ऐसा उपयोग यदि भ्रम उत्पन्न या पंजीकृत व्यापार चिन्ह के साथ संबंध स्थापित कर सकता हो तो यह व्यापार चिन्ह उल्लंघन का प्रकरण होगा । इसका एक उदाहरण निम्नलिखित हो सकता है । अमूल वर्ग 29 में शामिल डेरी उत्पादों के लिए पंजीकृत व्यापार चिन्ह है । एक अन्य व्यापारी अनूल व्यापार नाम (या मिलता जुलता शब्द जैसे अमूल, अमोल आदि) का प्रयोग मिनरल वाटर के लिए प्रारंभ करता है । चूँकि मिनरल वाटर वर्ग 32 में शामिल है अतः पूर्ववर्ती कानून के अनुसार यह सिर्फ जाली प्रयोग का प्रकरण हो सकता था । नए अधिनियम के अंतर्गत चूँकि दोनों उत्पाद मिलते जुलते हैं व खाद्य उत्पाद हैं अतः यह व्यापार चिन्ह उल्लंघन का प्रकरण होगा । इस प्रकार नए व्यापार चिन्ह कानून में व्यापार चिन्ह संरक्षण किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है ।
- (ब) असमानवस्तुएँ : व्यापार चिन्ह उल्लंघन के क्षेत्र को विस्तृत कर इसे असमान वस्तुओं के प्रकरणों में भी लागू किया गया है । इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियाँ आती हैं । प्रायः किसी प्रतिष्ठित व्यापार चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया जाता है जो कि इसके समान या संबंधित नहीं हैं । इसके संबंध में एक उदाहरण मारुति महीन कागज का है । मारुति आटोमोबाइल्स श्रेणी में अवश्य ही पंजीकृत व्यापार चिन्ह होगी व मारुति महीन कागज की बिक्री पर नियंत्रण सिर्फ हस्तांतरण कानून की कार्रवाई के द्वारा हो सकता है । हालाँकि हस्तांतरण कानून की कार्रवाई संभवतः सफल नहीं हो सकती क्योंकि दोनों उत्पाद भिन्न व्यापार माध्यमों से प्रसारित किए जाते हैं एवं पूर्णरूप से भिन्न हैं । महीन कागज का खरीददार निश्चित रूप से यह नहीं सोच सकता कि मारुति कार के निर्माताओं ने महीन कागज का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है । तथापि मारुति व्यापार चिन्ह के मालिक अपने व्यापार चिन्ह के महीन कागज के निर्माताओं द्वारा अपनाए जाने से व्यथित हो सकते हैं । नए व्यापार चिन्ह कानून के अंतर्गत यदि यह स्थापित किया जा सके कि व्यापार चिन्ह की भारत में प्रतिष्ठा है तो यह इसे व्यापार चिन्ह उल्लंघन के प्रकरण के रूप में मान्य करता है ।

यह खंड अमरीकी कानून से लिया गया है जहाँ इसे व्यापार चिन्ह का 'हास' कहा जाता है । हास की संकल्पना जाली प्रयोग की संकल्पना से विस्तृत व भिन्न है । उदाहरण के लिए ऐसे व्यापारी का प्रकरण लेते हैं जो अमूल नाम से कीटनाशक बेचना प्रारंभ करता है । यहाँ पर जाली प्रयोग का कोई प्रकरण नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी यह कल्पना

नहीं कर सकता कि कीटनाशक डेयरी उत्पाद के निर्माताओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। किंतु कीटनाशक के संबंध में 'अमूल' नाम का प्रयोग खाद्य पदार्थों का कीटनाशकों के साथ संबंध को प्रवृत्त करता है व व्यापार नाम 'अमूल' की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है। इस प्रकार यह व्यापार नाम के महत्व को कम करता है व इस तरह सरोकार का विषय है।

- (क) व्यवसायिक नाम को हस्तगत करना : किसी पंजीकृत व्यवसायिक नाम को हस्तगत करने की एक विधि इसे किसी समान या संबंधित वस्तुओं की फर्म के नाम पर रखना है। नया अधिनियम इस विधि को व्यापार चिन्ह उल्लंघन के प्रकरण के रूप में मान्य करता है।
- (ड) विज्ञापन में व्यापार चिन्ह : नए अधिनियम ने पंजीकृत व्यापार चिन्ह की परिभाषा को उपयोग के संदर्भ में बढ़ा दिया है। पूर्ववर्ती कानून में प्रमुख जोर इस बात पर रहता था कि यदि चिन्ह वस्तुओं से संबंधित है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। नया अधिनियम कहता है कि किसी व्यापार चिन्ह का उल्लंघन न केवल इसे वस्तुओं के साथ संबद्ध करने से बल्कि पैक की हुई सामग्री पर इसको छापने व इसका विज्ञापन में प्रयोग करने से भी होता है।
7. पंजीकरण के लिए कठोर शर्तें : व्यापार चिन्ह उल्लंघन के लिए अनुरूपता का होना आवश्यक होता है, अतः नए अधिनियम ने चिन्हों के पंजीकरण के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध प्रस्तावित किए हैं। इनके अंतर्गत यदि कोई व्यापार चिन्ह समान वस्तु के लिए पूर्व में पंजीकृत किए गए चिन्ह के समरूपी है या इससे मिलता-जुलता है तो इसे पंजीकृत नहीं किया जाएगा चाहे समान वस्तुएँ भिन्न वर्ग में ही क्यों न हों।

विदेशी व्यापार चिन्ह

जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि विदेशी कंपनियों को अपने व्यापार चिन्हों के लिए संरक्षण प्राप्त करना कठिन हो गया था। इसके साथ ही चिन्हों को पंजीकृत कराना कठिन हो गया था व पंजीकृत चिन्हों को अनुपयोग के आधार पर रजिस्टर से हटाया जा सकता था। बाजार में वस्तुओं के उपस्थित न रहने की स्थिति में जाली उपयोग की हस्तांतरण की कार्रवाई को जारी नहीं रखा जा सका। इसके अलावा इन व्यापार चिन्हों के पंजीकृत न होने के कारण अन्य व्यक्ति इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते थे। नए अधिनियम ने उपर्युक्त सभी स्थितियों में परिवर्तन लाया है व यह परिवर्तन प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह की संकल्पना की प्रस्तुति के द्वारा लाया गया है।

प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह

नए अधिनियम के अंतर्गत प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह वह होता है जो विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में उपयोग किए जाने के कारण उपभोक्ताओं के मध्य समुचित पहचान बना चुका हो। ऐसे व्यापार चिन्ह की भारत में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के भारतीय बाजार में न होने पर भी कोई चिन्ह प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह हो सकता है। दूसरे शब्दों में विज्ञापन के द्वारा प्रचलन भी किसी व्यापार चिन्ह के प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह में स्थापित होने के लिए पर्याप्त है। किसी भी चिन्ह को गुणता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग उसे जाने। इसे सिर्फ जनसंख्या के उस समूह के मध्य पहचान बनाना आवश्यक है जो कि उन वस्तुओं को खरीदता। उपयोग करता है। प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह की संकल्पना ने विदेशी व्यापार नामों को अत्यंत विस्तृत व अशर्त संरक्षण प्रदान किया है। कोई चिन्ह यदि किसी प्रसिद्ध चिन्ह के हितों के लिए हानिकारक है तो इसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नए अधिनियम ने व्यापार चिन्हों में अपराधिता की संकल्पना को विस्तृत किया है व दंड एवं सजा के प्रावधानों में बढ़ोत्तरी की है। जालसाजी करना अर्थात् समरूपी या धोखे से मिलते जुलते चिन्ह के प्रयोग को 'बोधगम्य अपराध' की संज्ञा दी गई है। पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना ही तलाश करने व अभिग्रहण करने की अनुमति दी गई है। अपराध की सजा को 6 माह से 3 वर्ष तक एवं जुर्माने की राशि को रु.50,000/- से रु. 2,00,000/- तक निर्धारित किया गया है।

निष्कर्ष

नया अधिनियम सिर्फ सितंबर 2003 से लागू हुआ है। आने वाले वर्षों में इसके व्यावहारिक उपयोग को देखना रुचिकर होगा। नए अधिनियम के चार पक्ष हैं। प्रथम पक्ष सामान्य कानून के द्वारा बनाए गए 100 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व व्यापार चिन्ह संरक्षण के सिद्धांतों को दोहराता है। द्वितीय पक्ष व्यापार चिन्ह उल्लंघन के क्षेत्र में कपटपूर्ण हस्तांतरण के अधिक से अधिक पहलुओं का समावेश करता है। तृतीय पक्ष उद्गामी व्यवसायिक पद्धतियों जैसे सेवा चिन्हों, समूह चिन्हों की प्रस्तुति एवं व्यापार चिन्हों की विस्तृत परिभाषा का जायजा लेता है। व्यवसायों के विकास के लिए ये रुचि के क्षेत्र हैं क्योंकि इनका वे अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं व प्रावधानों को अपने लाभ के लिए प्रतिपादित कर सकते हैं। हालाँकि प्रसिद्ध व्यापार चिन्हों की श्रेणी के द्वारा विदेशी व्यापार चिन्हों को संरक्षण देना 1958 के अधिनियम के व्युत्क्रम में ही है जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

- - -